न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।

विशेष परिवाद सं० 152/2019

प्रेमश्री बनाम उमेश आदि

दि० 27-01-2020

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

परिवादिनी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण उमेश आदि को तलब कर विचारणोपरान्त दण्डित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

परिवादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि दिनांक 02-12-2018 को समय करीब 7 बजे सायं प्रार्थिनी अपने घर में अकेली थी। उसी समय विपक्षीगण घर में घुस आये और प्रार्थिनी को पकड़कर तख्त पर गिरा दिया। विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थिनी का ब्लाउज फाड़ दिया तथा धोती खोल कर फेंक दी तथा बुरा काम करने की कोशिश करने लगा। विपक्षी सं० 2 ने अपनी गोट से तमंचा निकाल कर जान से मारनेकी धमकी दी तथा कहा साली पासिन तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण द्वारा उसके घर में घुसकर उसे पकड़कर तख्त पर गिरा देना कहा है तथा बुरा काम करने की कोशिश किया जाना कहा गया है। परिवादिनी के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में भी यह कथन किया गया है कि उमेश मेरे साथ बुरा काम नहीं कर पाया था। केवल साड़ी उठा पाया था तब तक मैंने चिल्ला दिया था। मुल्जिमान ने कहा था कि पसनिया तुझे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे।

परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्षी छोटेलाल पी०डब्लू० 1 ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में विपक्षीगण द्वारा बुरा काम किया जाना कहा गया है, परन्तु पी०डब्लू० 2 लड़ैती ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के कपड़े फाड़ देना तथा उसे तख्त पर लेटा देना कहा गया है।

परिवादिनी के द्वारा स्वयं अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में बलात्कार किये जाने का कथन नहीं किया गया है। यद्यपि पी०डब्लू० 1 छोटेलाल ने परिवादिनी के साथ बलात्कार किया जाना कहा गया है, परन्तु परिवादिनी एवं पी०डब्लू० 2 लडैती के द्वारा बलात्कार किया जाने का कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला 452,354, 504 भा०दं०सं० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट का अपराध बनता है जिसके विचारण के लिये विपक्षीगण को तलब किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण उमेश एवं दिनेश के विरूद्ध धारा 452,354, 504 भा०दं०सं० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेते हुए, उन्हें विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी एक सप्ताह के अंदर सूची गवाहान दाखिल करे। बाद पैरवी अभियुक्तगण को नियमानुसार समन निर्गत हो। पत्रावली दिनांक 27-02-2020 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

(संजीव कुमार सिंह)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हरदोई।